[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी): अध्यक्ष महोदय, उन विषयों पर बोलना मेरे लिए आसान नहीं है दूसरी तरफ इन पर बोलने का कोई फायदा भी नहीं है अर्थात वे मेरे लिए बहुत भावात्मक हैं और वे मुझे उस कठिन समय की याद दिलाते हैं।

महोदय, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 मार्च, 1984 को अनेक लोगों के सामने दो हत्यारों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया।

इसके बाद हमारे सामने तीन कार्य करने जरूरी हो गए। पहला, जो इस घटना के लिए उत्तरदायी थे उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाए। दूसरी हत्या के पीछे क्या कारण थे और क्या परिस्थितियां थी उनकी जांच करना तथा तीसरे सुरक्षा के उपायों और चिकित्सा सुविधाओं में कमी तथा इस बारे में जो गहरी साजिश थी उसके लिए एक जांच आयोग स्थापित किया जाए।

सदन इसकी सराहना करेगा कि इन तीनों कार्यवाहियों के बीच में आपस में गहरा सम्बंध है।

इन्दिराजी की हत्या केवल उन्हीं की हत्या नहीं थी बल्कि उनके सभी सिद्धान्तों की हत्या थी जिनका उन्होंने समर्थन किया और जिनके लिए वह जीवन भर लड़ती रहीं।

इन्दिराजी का लोकतन्त्र में अटूट विश्वास था। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र देश की निर्वाचित नेता थीं उनका भारत के लोगों में बहुत विश्वास था। हमारे लोकतंत्र के शत्रु इंदिराजी को और हमारे लोकतंत्र की राजनीतिक बुनियादों को समाप्त देना कर चाहते थे।

इंदिरा गांधी का धर्मनिरपेक्षता में विश्वास था। वे हमारे राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता के प्रति पूर्णतया वचनबद्ध थीं। कट्टर धार्मिक विश्वास वाले राजनीतिज्ञ उनकी हत्या करना चाहते थे और हमारे राष्ट्र में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त करना चाहते थे।

इंदिरा गांधी राष्ट्रवादी थी। वह भारत की आजादी के लिए पूर्णयता समर्पित थीं। हमारी स्वतंत्रता के दुश्मन उन्हें तथा उनके साथ हमारी स्वतंत्रता, हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते थे।

इंदिराजी का आत्म-निर्भरता में विश्वास था। वह भारत को आत्म-निर्भर बनाना चाहती थीं। जो लोग नहीं चाहते थे कि हम आत्म-निर्भर बनें, वे उनकी हत्या करना चाहते थे और हमें आत्म-निर्भर नही बनने देना चाहते थे।

इंदराजी देश में स्थिरता लाना चाहती थी। उन्होंने देश के अन्दर कार्यरत आतंकवादियों और देश के बाहर उन्हें उकसाने वाले तथा उनका समर्थन करने वाले लोगों के बीच सांठ-गांठ की ओर जनता का लगातार ध्यान आकृष्ट कराया। भारत को विघटित करने वाले लोग इंदिराजी की हत्या करके अपने घृणित इरादों को पूरा करना चाहते थे।

महोदय, इंदिरा जी देशभक्त थीं। उनके रक्त की अंतिम बूंद भी अपनी मातृभूमि, इसकी एकता और अखंडता के लिए समर्पित थी। हमारी एकता और अखंडता के दुश्मन उनकी हत्या करके भारत माता की एकता और अखंडता को खत्म करना चाहते थे।

इंदिराजी की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नही थीं। उनका उद्देश्य था हमारी एकता को तोड़ना, हमारी अखंडता को कमजोर करना, हमारी धर्मनिरपेक्षता को हानि पहुंचाना और हमें आत्मनिर्भर न

होने देना। उनका इरादा था हमारे देश में लोकतंत्र को समाप्त करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व की जड़ों को मिटा डालना।

महोदय, हमारा कर्तव्य था कि उनके हत्यारों और उनका साथ देने वालों को पकड़े और यह सुनिश्चित करें कि इस अपराध के लिए जो षडयंत्र रचा गया था, उसका पर्दाफाश हो।

इस षडयंत्र, जो देश तथा विदेश में रचा गया था, का पर्दाफाश किया जाना आवश्यक था ताकि हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हमारे लोकतंत्र की हत्या न हो और न ही इसके कारण देश से धर्मनिरपेक्षता समाप्त हो अथवा न ही हमारे आत्मनिर्भर बनने में रुकावट आए। इस षडयंत्र का गहराई से पता लगाना था ताकि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद से ही हमारी अखंडता, एकता और आजादी के लिए जो सबसे गंभीर खतरा पैदा हो गया था, उससे राष्ट्र की रक्षा की जा सके।

हत्यारों को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया था। षडयंत्रकारी पकड़े नहीं गए थे।

हत्यारे को कानून के तहत अपने बचाव का हर अवसर प्रदान किया गया। उसके सहयोगियों को भी इसका अवसर दिया गया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के सात-न्यायाधीशों कि खण्डपीठ ने निर्धारित कानून के तहत बड़े सोच-विचार के बाद अपना अंतिम निर्णय दिया। दोषी व्यक्ति को दूसरा अवसर देकर एक अभूतपूर्व कदम उठाया गया था। यह बहुत खेद की बात है कि संसद तक में भी न्यायाधीशों की ईमानदारी पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। महोदय, उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट नहीं है। स्पष्टतः ऐसा वैधानिक कारणों से नहीं अपितु राजनैतिक उद्देश्यों से किया गया है।

अभियुक्त को यह पूरा अधिकार है कि वह अपने बचाव के लिए वकील रखें और वकील को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यवसायिक सेवाएं अपने अभियुक्त को दे। किन्तु जब कानून की आड़ में खतनाक राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है तब हमारे लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि उन लोगों के कार्यों की पोल खोली जाए जो इसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे लिए यह भी जरूरी है कि उसे सहयोग देने वाले राजनीतज्ञों की भी पोल खोली जाए।

यदि न्यायालयों का यह कर्त्तव्य है कि वे अभियुक्त और उसके बचावपक्ष के वकील के अधिकारों और उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करे तो संसद का भी यह कर्त्तव्य है कि वह गलत कार्य करने वाले राजनीतिज्ञों की पोल खोले।

इन्दिरा जी की हत्या के बाद एक विशेष जांच दल नियुक्त किया गया। यह दल एक ऐसे अनुभवी पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में नियुक्त किया गया था जिन्हें आपराधिक मामलों की जांच करने का काफी अनुभव था। विशेष जांच दल को स्पष्ट निदेश थे अपराध की जांच करना तथा देखना कि किन परिस्थितियों में अपराध किया गया। हमने एक जांच आयोग नियुक्त किया था। जांच आयोग के गठन के लिए हमने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक न्यायाधीश का चयन किया। मुख्य न्यायाधीश ने एक प्रतिष्ठित सेवारत जज, न्यायाधीश ठक्कर का नाम सुझाया। विशेष जांच दल और जांच आयोग के कार्यों के बीच निकट संपर्क रखा गया।

महोदय, उन विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं अपनी रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए कहा था। सरकार ने यह सिफारिश मान ली थी। उन विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिपोर्ट को गुप्त रखने के लिए

की गई सिफारिश को स्वीकार करने के निर्णय को अनुमोदन के लिए इस सभा के समक्ष रखा गया और इस सभा ने उस संकल्प को स्वीकार करके उस निर्णय का समर्थन किया।

यह सभा जनता से अधिकार प्राप्त करती है। सभा की इच्छा ही हमारे लोकतंत्र में सर्वोपरि है। सभा का नेता होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं यह सुनिश्चित करूं कि इसकी इच्छा का आदर किया जाए।

महोदय, कांग्रेस दल हमारी मातृभूमि की 100 वर्षों से अधिक तक की गई सेवा की विचार-धारा से, हमारे उन सिद्धान्तों से, जिनके कारण हमें स्वतन्त्रता मिली, उन आदर्शों से जिनके कारण हमारा राष्ट्र आधुनिक बना तथा उस दूरदृष्टिता से प्रेरणा लेती है जिनसे उनमें मानवता आई। हमें कुछ समाचारपत्रों से ही प्रेरणा नहीं मिलती। हमारा दल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और इन्दिरा गांधी का दल है। हमें उन लोगों से कोई पाठ नहीं सीखना है जो एक दल से चुनकर आते हैं और कई लोगों के वफादार बनकर तथा अवसरवादी बनकर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं। हमें उन लोगों के सिद्धान्तों या विचारधारा से कुछ नहीं सीखना है जिनमें इन दोनों ही चीजों की कमी है।

महोदय, अनधिकृत व्यक्तियों को अनधिकृत तरीके से इस रिपोर्ट के बारे में बताकर इस सभा की इच्छा का उल्लंघन किया गया है। विपक्ष ने क्या किया? क्या उन्होंने इस सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन की निन्दा की? क्या उन्हें इस बात पर गुस्सा आया था? क्या उन्होंने अपने इस गुस्से को व्यक्त किया था? किसी व्यक्ति ने संसद की इच्छा का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर किए गए विश्वास को तोड़ा है। किसी ने गोपनीयता की शपथ को तोड़ा है। किसी ने अपने वचन को तोड़ा है। यह रिपोर्ट हमने लीक नहीं की है। हम इसके लीक करने वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए जांच कराएंगे।

पिछले कुछ सप्ताहों से विपक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रपंचपूर्ण पत्रकारिता की कठपुतलियों की तरह व्यवहार किया है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हम उनके इस दृष्टिकोण के आदि हैं। लेकिन दुःख की बात यह है कि जिम्मेदार विपक्षी दल जिनकी राष्ट्रभक्ति पर शक नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं। मैं उन्हें सावधान करना चाहता हूं कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह अत्यन्त खतरनाक है।

महोदय, ठक्कर रिपोर्ट की विषय सूची की सूचना प्रेस को 3 वर्ष पूर्व मिल गई थी। लेकिन इस सभा में या अन्यत्र कोई मामला नहीं उठाया गया। महोदय, ऐसा क्यों किया गया। क्या इसका कारण यह था कि संबंधित पत्रकारों ने विपक्षी सदस्यों को ये निर्देश नहीं दिये थे कि अब उन्हें क्या करना है? अथवा अब जो शोर-शराबा हो रहा है, उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण है?

ठक्कर रिपोर्ट में इस अपराध से संबंधित गहन षडयंत्र के बारे में बताया गया है। जिन्हें रिपोर्ट की गुप्त बातों की जानकारी थी, उन्हें यह भी पता था कि आपराधिक जांच समाप्त होने जा रही थी। उन्हें पता था कि रिपोर्ट को गुप्त रखने से षडयंत्र की जांच और षडयंत्रकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने को पक्षपातयुक्त बनाना असंभव है। फिर इसे अब लीक क्यों किया गया। राष्ट्र की गोपनीय बातों को इस समय तथा इस तरीके से लीक करने के पीछे उनका क्या इरादा था? उन्होंने अपनी बात पहले क्यों नहीं प्रकट की। वे इसे अब क्यों लीक कर रहे हैं?

कुछ अकाली नेताओं ने कहा है कि षडयंत्र के मामलों को इसलिए फाइल किया गया है क्योंकि रिपोर्ट जनता के सामने आ गई है। एक तरीके से यह ठीक ही है कि उनमें सांठ-गांठ है किन्तु इसका कारण गलत है। महोदय, शोर इसलिए मचाया गया था क्योंकि हम षडयंत्रकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने ही वाले थे। ठक्कर रिपोर्ट में जांच की वह दिशा पता चली थी जिससे षडयंत्र का पता चला। अत: षडयंत्रकारियों के साथियों ने ऐसा काम किया जिससे षडयंत्र का भेद खुलने से रुक जाए। वे जानते थे कि भेद खुलने वाला है। वे जानते थे कि पिछले वर्ष के अन्त में अतिन्दर पाल सिंह के पकड़े जाने के बाद जांच दल द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवश्यंभावी थी। वे जानते थे कि केवल कुछ नतीजों को जोड़ना भर होगा। वे जानते थे कि केवल आरोप पत्र दायर किए जाने बाकी हैं। वे जानते थे कि एक बार मामला न्यायालय में जाने के बाद, ठक्कर रिपोर्ट जनता के सामने आ जाएगी।

इसलिए उन्होंने उस समय चालाकी से काम किया जबकि आरोप पत्र दायर किए जाने थे। उन्होंने इसी पुरानी बात को दोहराने के बारे में सोचा। षडयंत्रकारियों के मित्र यदि उनकी इच्छा होती तो, षडयंत्र से संबंधित रिपोर्ट के हिस्से को भी लीक कर सकते थे क्योंकि यदि हम उनकी बात पर विश्वास करें—उनका कहना है कि उनके पास पूरी रिपोर्ट है—तो फिर कतिपय चुनींदा बातों को ही क्यों लीक किया गया? पूरी रिपोर्ट लीक क्यों नहीं की गई? वे षडयंत्रकारियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्या यह राष्ट्र का ध्यान परिधर्तित करने का छल नहीं था? यह यदि नहीं था तो यह रहस्योद्घाटन चुनिंदा रहस्योद्घाटन क्यों था? और यदि नहीं, तो अभी क्यों हुआ पहले क्यों नहीं हुआ?

हमारे पास इन प्रश्नों के निश्चित उत्तर नहीं हैं। हमारे पास तो संदेह के चुम्बकीय क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमने वाली ढेर सारी सुइयां हैं जो षडयंत्रकारियों, उनके राजनैतिक साथियों, उनके मित्रों, उनके सहापराधियों की ओर इशारा करती हैं।

यह राजनीतिक षडयंत्र आपराधिक प्रयोजनार्थ और विश्वासघाती उद्देश्य से रचा गया था। यह आपराधिक इसलिए था क्योंकि इसका उद्देश्य हत्या करना और अराजकता फैलाना था। यह विश्वासघाती इसलिए था क्योंकि इसका लक्ष्य हमारी स्वतंत्रता, हमारी एकता, अखण्डता और हमारे अस्तित्व को मिटाना था। षडयंत्र का आधार धार्मिक और राजनीतिक विस्फोटक मिश्रण का विस्फोटन करना था। जब पिछली बार उस मिश्रण का विस्फोटन किया गया तो उससे देश का विभाजन हो गया। हम अपने देश का विभाजन या बटवारा दोबारा कभी नहीं होने देंगे। दोबारा किसी दूसरे प्रस्ताव, चाहे यह वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर में प्रस्तुत किया गया हो या अकाली दल द्वारा वर्ष 1978 में आनन्दपुर साहिब में प्रस्तुत किया गया हो, को अपने देश की एकता को तोड़ने या हमारी अखंडता के साथ समझौता करने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। हमारा एक राष्ट्र है। हमारे धर्म अनेक हैं किन्तु हमारी संस्कृति मिलीजुली है। हमारी एकता में विविधता है किन्तु इसमें पृथकतावाद, हिंसा या अलगाव के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसाकि न्यायाधीश सरकारिया ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि यदि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो "देश एक अखण्ड राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रह सकता।"

फिर भी एक सांसद ऐसे हैं जो अकाली दल या इसके किसी भी गुट के सदस्य नहीं हैं किन्तु उन्होंने खुल्लम-खुल्ला प्रस्ताव के सारभाग का समर्थन किया है। जब उन्होंने पहली बार इस अधम

कार्य का समर्थन किया था तब वे किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं थे। इसके बाद उन्हें जनता दल ने जानबूझकर अपना लिया और उन्हें राज्य सभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। जनता दल ने ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए, यदि वे लोग उसके विचारों से सहमत नहीं थे, अपना मार्ग क्यों बदला ? मेरा यह मानना स्वाभाविक ही है कि जनता दल इतना दिग्भ्रमित हो गया है कि वे यह नहीं जानते या इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि इस महाशय का मन्तव्य क्या था या वह उनकी पीठ के पीछे क्या कर रहा था। किन्तु अब इस बात को एक माह से अधिक हो गया है जब संसद को उसके घृणित क्रियाकलापों की जानकारी दे दी गई थी। क्या उसकी पार्टी ने उसे अपने बल से बाहर निकालने के लिए कुछ किया है ?

और विपक्ष की जिम्मेवार राष्ट्रीय पार्टियों, जो राष्ट्रीय मोर्चे और जनता दल का एक भाग हैं, ने क्या किया ? क्यों उन्होंने उसे निकाले जाने की मांग की है ? नहीं, उन्होंने यह मांग नहीं की। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने इस राष्ट्रीय अपमान में अपनी मौन स्वीकृति दी। वस्तुतः उनकी चुप्पी अनजाने में उन खतरनाक हठधर्मी तत्वों को बढ़ावा दे रही है और उन्हें दुष्प्रेरित कर रही है जो हमारे देश को बरबाद करना चाहते हैं। वे अभाव में आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कृताकृत अपराध हैं। मैं सभी जिम्मेवार राष्ट्रीय विपक्षी पार्टियों से उन लोगों से सार्वजनिक तौर पर और स्पष्टतः दूर रहने की अपील करता हूं। इस देश की जनता यह देखे कि विपक्ष उन्हें अस्वीकारता है। आतंकवादी यह देखें कि विपक्ष की राष्ट्रीय पार्टियां उन्हें अस्वीकार करती हैं।

जब ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी गई तो इस बात पर कि "रिपोर्ट" में क्या-क्या है एक पूर्णतः अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस ढंग से इस रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है, रिपोर्ट को पटल पर रखते समय किसी भी पूर्वउदाहरण का उल्लंघन नहीं किया गया। पहले की तरह इस अवसर पर भी रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है किन्तु कार्यवाहियों को सरकारी अभिलेख में रखा गया था। इससे पूर्व कभी भी इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है। अब इसे चुनौती क्यों दी गई है ?

अब इसे इसलिए चुनौती दी गई है ताकि धवन पर लगे आरोप से संबंधित टिप्पणियों का वर्णन करके इस षड्यंत्र वाले मामले को बिगाड़ कर अपनी दुःसाहसी इच्छा की पूर्ति की जाए। टिप्पणियों और अभ्यारोपण में बहुत अन्तर होता है। न्यायाधीश ठक्कर का कार्य उन्हें दिखाने वाले हर सुराग को बताना था। सुराग रिपोर्ट में हैं। कार्यवाही बेकार की वस्तु है। हमें बेकार वस्तु को पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

विशेष जांच दल ने चार वर्षों तक श्री धवन की गतिविधियों की विस्तृत रूप से जांच की; उन्होंने न्यायाधीश ठक्कर की टिप्पणियों की गौण बातों की भी जांच की। इन वर्षों के दौरान धवन को सरकारी कार्यों से दूर रखा गया। इन वर्षों के दौरान उसके विपक्ष के माननीय सदस्यों, जिन्होंने आज अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया है, द्वारा गठित जांच आयोग से भी अधिक कड़ाई से पूछताछ, परिपृच्छा और जांच की गई।

विशेष जांच दल ने यह कहा कि उन टिप्पणियों को अभ्यारोपण में परिवर्तित करने के कोई

आधार नहीं थे। इसलिए उसे सरकारी कार्यों से दूर रखने के कोई आधार नहीं हैं। हमारी सरकार विवेकपूर्ण सरकार है। हमारी सरकार स्वच्छ सरकार भी है। अब उसे दोषमुक्त कर दिया गया है तो उसकी सत्यनिष्ठा पर संदेह क्यों किया जाए ?

हम स्वयं को अपना मार्ग बदलने की अनुमति नहीं देंगे। हम उन लोगों पर अभियोग चलाने के लिए दबाव डालेंगे जिन्हें दोषमुक्त नहीं किया गया है। हम उन लोगों पर आरोप लगाएंगे जिन्हें हम राष्ट्र के विरुद्ध षडयंत्र रचने के लिए दोषी मानते हैं। हम इस राष्ट्र या सदन का समय बरबाद नहीं करेंगे जैसाकि विपक्ष के हमारे मित्र एक निर्दोष व्यक्ति को खींचकर या उस पर मिथ्या आरोप लगाकर कर रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार गम्भीरता से अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। जब कभी भी भाई-भतीजावाद या भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रथम-दृष्टा स्थिति में स्थापित हुआ है या किसी कांग्रेसी पर, चाहे वह उच्च पद पर आसीन हो, मुख्यमंत्री हो या केन्द्रीय मंत्री हो अथवा राज्यपाल हो, न्यायालय द्वारा अभ्यारोपण लगाया गया है तो जब तक उस पर लगे आरोप झूठे प्रमाणित नहीं हो जाते उसे हमेशा अपने पद से वंचित रहना पड़ा है।

हमारे दल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के सात अभ्यारोपण लगाये गये हों और जो अपनी कुर्सी से चोंचे की तरह चिपका रहा हो।

महोदय, हमारे दल में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा "विधि शासन का सुस्पष्ट उल्लंघन" करने के लिए दोषी पाया गया हो—और बाद में उच्च न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से हुई हो। फिर भी वह तब तक कुर्सी से चिपका रहता जब तक कि उस पर दूसरा आरोप न लग जाए और उसके लिए आगे उस पद पर बना रहना असंभव हो जाए।

हमारे दल में ऐसा मुख्य मंत्री नहीं है जो अपने परिवार के सदस्यों को एक महिला के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए आपराधिक जांच और अभियोग से बचाता है। महोदय, कांग्रेस दल एक सम्मानीय दल है। हम एक सम्मानीय सरकार चलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का नेता हूं। सदन की इच्छा, इसके अधिकारों और विशेषाधिकारों का आदर करना मेरा परम कर्त्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री भी हूं। यह देखना मेरा परम कर्त्तव्य है कि अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए और षडयंत्रकारियों के षडयंत्रों को असफल किया जाए। यही मैंने किया है। मैं उस पवित्र विश्वास के प्रति निष्ठावान हूं जो मुझमें व्यक्त किया गया है। महोदय, राष्ट्र हमारे हाथों सुरक्षित है। हमने इसकी स्वतन्त्रता की गारंटी दी है। हमने इसकी एकता को मजबूत किया है। हमने इसकी अखण्डता बनाए रखी है।

किन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं उस मां का इकलौता जीवित बेटा भी हूं जिसकी हत्या की गई थी। व्यक्तिगत रूप से यह आरोप लगाना, कि मैंने इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल संदिग्ध सहषड्यंत्री

को दोबारा नौकरशाही में लाकर उस प्यार और मोहब्बत को धोखा दिया है जिसकी उसने मुझ पर बौछार की थी, किसी रुग्ण मानसिकता का ही परिचायक है। ऐसा आरोप लगाने वाले व्यक्ति किस प्रकार के आचरण के हैं ? उनके घटिया आक्षेप का मेरे ऊपर अथवा हमारी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि इससे पता चलता है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति हैं, उनके सोचने का ढंग क्या है और वे किस दकियानूसी ढंग से कार्य करते हैं।

सदन को यह जानकारी है कि मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। मैं अपने खुशी पारिवारिक जीवन में खुश था। मेरी माता इन दोनों भावनाओं का आदर करती थी।

फिर युवावस्था में ही मेरे भाई संजय की मृत्यु हो गई। इससे एक मां का दिल टूट गया। इससे एक प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति खंडित नहीं हुई। शोक मनाने के लिए एक दिन का भी अवकाश किए बिना उन्होंने लोगों को किए गए अपने वायदों को पूरा करने के लिए अपना महान कार्य जारी रखा। केवल एक शोक सन्तप्त मां ही ऐसे एकांकीपन को जान सकती है। केवल एक शोक सन्तप्त महिला प्रधानमंत्री ही ऐसे अनोखे एकांकीपन को अनुभव कर सकती है। वह प्रधानमंत्री मेरी मां थी। अपने अकेलेपन में उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गया। उनके कहने पर मैंने उड्डयन में अपनी रुचि को छोड़ दिया। उनके कहने पर ही मैंने अपने पारिवारिक जीवन को छोड़ दिया और उनका राजनैतिक सहायक बन गया। राजनीति का पहला पाठ मैंने उनसे ही पढ़ा। उन्होंने ही मुझसे यह आग्रह किया कि मैं अपने भाई के स्थान पर अमेठी से संसद-सदस्य बनकर अपने दल और चुनाव क्षेत्र की आग्रहपूर्ण मांग को पूरा करूं। उनके आशीर्वाद से मुझे दल का महासचिव बना दिया गया। उनकी अचानक मृत्यु होने पर मेरे दल ने मुझसे उनका स्थान ग्रहण करने की चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहा। इस चुनौती को स्वीकार करके मैंने एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य, मां के प्रति एक बेटे के संतानोचित कर्त्तव्य का पालन किया। आज वही बेटा इस सदन के समक्ष खड़ा है। मेरा निजी दुख मेरा अपना दुख है। मेरी मां की यादों का सम्बन्ध मुझसे है।

अध्यक्ष महोदय, इंदिरा जी इस सदन की भी नेता थी। वे इस देश की प्रधानमंत्री थी। जब उनकी याद को मलिन किया जा रहा है, उनके आदर्शों का उल्लंघन किया जा रहा है तो मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। भारत की उनकी संकल्पना को, जिसके लिए वे जीवित रहीं और जिसके लिए वे मरी उसे अभी पूर्णतः साकार करना है। जब उनकी दुखान्त मृत्यु को घटिया चरित्रबल तथा दुर्भावनापूर्ण, गैर-जिम्मेदार राजनीतिज्ञों द्वारा एक राजनैतिक खिलौना बनाया गया है तो मैं निष्क्रिय नहीं रहूंगा। अब मैं उनको अपना उत्तर दूंगा। मेरे, मेरे परिवार तथा मेरे सहयोगियों के विरुद्ध जो कानाफूसी और दुर्भावना फैलाई गई उससे मैं अपने उद्देश्य से हटने वाला नहीं हूं।

महोदय, अपनी माता इन्दिरा जी से मैंने एक सबक सीखा था, वह यह था कि परवाह मत करो, "एकला चलो रे", वे कहा करती थी।

महोदय, षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। स्पष्ट रूप से षड्यंत्र का उद्देश्य खालिस्तान की स्थापना करना था। इसके लिए प्रधानमंत्री की हत्या, देश में अव्यवस्था, भ्रम और अराजकता फैलाने के हथकंडे अपनाए गए। पंजाब में आतंकवाद के आरम्भ से हत्याओं का उद्देश्य साम्प्रदायिकता भड़काना रहा है। अत्यधिक साम्प्रदायिकता भड़काने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री की हत्या की। षड्यंत्रकारियों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऐसा करने से हजारों निर्दोष हिन्दुओं, निर्दोष सिखों और अन्य सम्प्रदाय के हजारों लोगों की मृत्यु हो

जाएगी। उनके लिए इस बात का भी कोई महत्व नहीं था कि देश में खून की नदियां बहाने पर ही उनके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। षडयंत्रकारियों का उद्देश्य साम्प्रदायिक भ्रातृ हत्या को बढ़ावा देना और निर्दोष व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं की हत्या करवाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना था। वे एक विध्वंस के द्वारा इस देश का विघटन करना चाहते थे ताकि वे इसके एक भाग में अपना फासिस्टवादी कट्टरपंथी शासन स्थापित कर सकें। इस प्रकार के वातावरण में इन्दिराजी की नृशंसतापूर्वक गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वातावरण में दिल्ली, कानपुर और अन्य स्थानों पर हमारे सिख भाइयों के विरुद्ध हिंसा फैलाई गई।

मैंने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला ही था। मेरे पास केवल कार्यवाही करने के लिए समय था, मातम मनाने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं था। मैं सदियों से एक साथ रह रहे समुदायों के बीच भातृत्व और मित्रता, सुरक्षा और विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए पूरे जोर से जुट गया।

महोदय, वर्ष 1984 का भयानक कत्लेआम एक ऐसा हत्याकांड था जिसका प्रभाव सभी शालीन भारतीयों की आत्मा पर सदैव रहेगा। यह उस दुःखद घटना के परिणामस्वरूप हुआ। यह कोई छोटी घटना नहीं है। हम अपने आपको माफ नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। परन्तु मुझे विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहिए कि हमने राजधानी में अथवा अन्य स्थानों पर सिखों के हत्याकांड की पुनरावृत्ति को रोका है। भड़काने वाले एजेन्टों ने अपने घृणित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वीभत्सता को भड़काने की बार-बार कोशिश की। हमने उनके प्रयासों को बार-बार निष्फल किया। भारत में प्रत्येक सिख के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए मैं वचनबद्ध हूं। यदि मैं इसके लिए वचनबद्ध नहीं हूं तो मैं अपनी मां का बेटा नहीं हूं।

वर्ष 1984 में कार्यभार संभालने के एक पखवारे के अन्दर ही मैंने चुनाव कराने और लोगों को यह तय करने का अधिकार देने का निर्णय लिया कि वे किसे चाहते हैं, किस दल को चाहते हैं। वह निर्णय लोकतंत्र के लिए मेरी वचनबद्धता का प्रतीक था। यह एक अन्य पाठ था जिसे मेरी मां ने मुझे पढ़ाया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चुनाव को स्थगित करने की सलाह दी क्योंकि राष्ट्र एक भयानक सदमे के दौर में था। मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं लोगों का विश्वास करता हूं। इन्दिराजी ने मुझे लोगों का विश्वास करना सिखाया। चुनाव परिणाम इस सदन की संरचना से जाहिर होते हैं। क्योंकि लोगों को यह आशंका थी कि सम्भवतः देश की एकता कायम न रहे इसलिए लोगों ने एकता बनाये रखी। हमारा शासनादेश स्पष्ट था। हमारा पहला कार्य देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना था, देश की स्वतन्त्रता का आश्वासन देना था। यह कार्य लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत बनाना था।

पिछले 4 वर्षों में हमने अपने प्रयासों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जब जनता पार्टी का पतन हो रहा था उस समय असम में एक आन्दोलन आरम्भ किया गया था। एक समझौते के द्वारा उस आन्दोलन को समाप्त किया गया है।

पहले के आन्दोलनकारी आज पूर्ण लोकतंत्रवादी हैं जिन्हें लोगों ने उस राज्य की देखभाल करने का दायित्व सौंपा हुआ है।

मिजोरम में एक समझौते द्वारा 20 साल से चले आ रहे विद्रोह को समाप्त किया गया है।

पहले के विद्रोही चाहे वे किसी पद पर थे अथवा नहीं, अब देश की एकता के लिए वचनबद्ध हैं और लोकतन्त्र में उनकी अटूट आस्था है।

त्रिपुरा में कार्यभार संभालने के कुछ महिनों के अन्दर ही उस राज्य की कांग्रेस सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने वर्षों से जारी हिंसा को समाप्त करने और मतभेदों को शान्तिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से निपटाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक समझौते पर बातचीत की।

नागालैंड और मणिपुर में भी बाकी विद्रोह समाप्त हो रहा है।

जिस समय राजनैतिक दलों ने चुनाव की तैयारी आरम्भ की, उसी समय दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक जातीय आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। उस समय जनवादी दृष्टिकोण को अपनाना और जातीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बहुमत के लोगों की भावनाओं को भड़काना सबसे आसान कार्य था। परन्तु गांधी जी, पंडित जी अथवा इन्दिरा जी ने हमें ऐसा करना नहीं सिखाया। पश्चिमी बंगाल विधान सभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही मैंने इस बात की पुष्टि की कि वह आन्दोलन राष्ट्र-विरोधी नहीं था।

मैंने तो इस बात पर जोर दिया था कि दार्जिलिंग के गोरखाओं की वास्तविक समस्याएं हैं, जिनके लिए वास्तविक हल की जरूरत है। कांग्रेस चुनाव में भले ही हार गई हो लेकिन हमने दार्जिलिंग के लोगों का पश्चिम बंगाल तथा देश के लिए जीत लिया। एक सम्भावित गम्भीर विद्रोह होने से बचा दिया गया। जैसाकि हमेशा कांग्रेस और इन्दिराजी के लिए भी रहा है। अब भी कांग्रेस के लिए देश तथा लोगों का हित पार्टी तथा हमारे स्वयं के हितों से ऊपर है।

महोदय, पंजाब में भी काफी प्रगति हुई है। हम शांति तथा स्थिरता कायम करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पिछले वर्ष पंजाब के लगभग आधे पुलिस स्टेशनों पर आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या की एक भी घटना दर्ज नहीं हुई। आपरेशन ब्लैक थंडर की कार्यवाही ने सभी को दिखला दिया कि आतंकवादी किस प्रकार सर्वाधिक पवित्र स्थान को भी अपवित्र कर रहे थे। इसके बाद से सभी गुरुद्वारों को हत्यारों और अपराधियों से मुक्त करा दिया गया है। पवित्र स्थानों को खराब कर रहे तथा इस पवित्रता का दुरुपयोग कर रहे हत्यारों और अपराधियों को अब इन स्थानों पर घुसने की अनुमति नहीं है। ग्रन्थी और सेवादार अब आतंकवादियों की राइफलों के तले कार्य नहीं करते हैं। एक बार पुनः पवित्र ग्रन्थों का उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि के लिए हो रहा है, राजनैतिक प्रचार के लिए हथियार के रूप में इनका उपयोग नहीं हो रहा है। महोदय, आतंकवादी बेनकाब हो चुके हैं। आतंकवादियों के प्रति बहुत कम हमदर्दी बची है। लोगों का एक छोटा-सा वर्ग ही उनका समर्थन कर रहा है। उनके प्रति आम समर्थन समाप्त हो चुका है। विचारधाराओं से प्रेरित होने वाले नाममात्र के एक-दो छोटे आतंकवादी गुट ही बचे हुए हैं। शेष गुटों को आम अपराधियों, तस्करों, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापारियों, अवैध शस्त्र विक्रेताओं से पृथक करना कठिन है। सिख, हिन्दू, मुस्लिम तथा अन्य सभी समुदायों के पंजाब के लोग देश के साथ पूरी शक्ति के साथ डटे हुए हैं। कट्टरपंथी उनके सामुदायिक सद्भाव को समाप्त नहीं कर सके हैं। अलगाववादी उनकी राष्ट्रीय निष्ठा फुसलाकर समाप्त नहीं कर सके हैं। आतंकवादी उन्हें डराने में सफल नहीं हो सके हैं। पंजाब के लोग हावी रहे हैं। जैसाकि पहले अनेक बार हुआ है, एक बार फिर से पंजाब के लोगों ने देश की रक्षा की है।

लेकिन हिंसा जारी है। इनके दो मुख्य कारण बुनियादी तथा मौलिक हैं।

एक तो यह है कि पंजाब के आतंकवादी सीमा-पार से और विदेशों से मदद तथा समर्थन प्राप्त कर रहे है। हमने इसके विरुद्ध अनेक उपाय किए हैं। हमें आशा है कि पाकिस्तान में सैनिक शासन से लोकतांत्रिक शासन में हुए परिवर्तन के बाद सीमापार से आतंकवादियों को समर्थन मिलना पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं और हमें आशा है कि इस पर पूर्णरूप से अमल होगा। पाकिस्तान में जो लोग समझते हैं कि ऐसे कार्यों से इस क्षेत्र और अपने देश में भी अस्थिरता पैदा हो सकती है, वे अब अपनी बात कहने लगे हैं।

पंजाब में इस आतंकवाद पर हमारे काबू न पाने का दूसरा मौलिक कारण यह है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध एक देश के रूप में संगठित मोर्चा बनाने में असमर्थ रहे हैं।

कसूर लोगों का नहीं है। देश के लोगों और विशेषकर पंजाब के लोगों ने इस घिनौने आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला किया है। उन्होंने सदियों पुराने सामुदायिक सद्भाव नहीं समाप्त किया है। उन्होंने देश के साथ विश्वासघात करने से मना कर दिया है। उन्होंने अपने गुरुओं के उपदेशों का पालन न करने से मना कर दिया है।

कसूर तो कुछ राजनैतिक पार्टियों का है। कुछ पार्टियां हैं जो साम्प्रदायिकता, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ संघर्ष में अटल हैं। हम उनके समर्थन, उनके साहस और दृढ़धारणा का स्वागत करते हैं। आतंकवादियों का एक छोटा सा समुदाय है लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों और राजनैतिक पार्टियों की कथनी और करनी से उन्हें मदद मिलती है। उन्हें उन लोगों से भी मदद मिलती है जो चुप रहते हैं, दूसरों की खतरनाक घोषणाओं और घृणित कार्यों की निन्दा नहीं करते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान, विपक्ष ने एक पुस्तिका में व्यक्त एक सदस्य के विचारों का समर्थन करने से मना कर दिया जबकि इसके प्रकाशन में इस सदस्य का गुप्त सहयोग था। फिर भी, वह उनके एक सम्मानित और अति-वांछनीय साथी बने हुए हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे कैसे उस सदस्य का परित्याग कर देते हैं, जबकि वह संसद में नहीं होते हैं लेकिन जब वह बोलते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं। वह आनन्दपुर साहिब के प्रस्ताव के प्रति अपने समर्थन की स्थिति से वापस नहीं हटे हैं। उन्होंने संसद में यह स्वीकारा है कि वह अभी भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वह केवल इसलिए संसद सदस्य बने हैं कि एक विपक्षी पार्टी ने उन्हें शामिल करके निर्वाचित करा दिया। अब यह पार्टी क्या कहती है? क्या वे अब कम से कम उनसे अपना उदार संरक्षण वापस लेने के लिए तैयार हैं?

दोहरे मानदंड के कारण उनका चुनाव हुआ। यह सबको पता है कि उन्होंने अमरीकी टेलिविजन के ऐसे कार्यक्रम में भाग लिया था जो एक तीसरे देश द्वारा प्रायोजित था और जिसमें भारत की एकता के विरुद्ध घृणा और द्वेष का प्रचार किया गया था। उन्होंने इस कार्यक्रम में भी आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। क्या उनके दल को टिकट देने के लिए उनसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं मिलता? अथवा क्या ऐसी पार्टी से यही अपेक्षा की जाए जिसके दो प्रतिनिधि मार्च 1984 के अत्यन्त कठिन समय में एक पड़ोसी देश गए और सैन्य तानाशाह के आदर-सत्कार की अत्याधिक प्रशंसा की और अपने मेजबान द्वारा आतंकवादियों, अलगाववादियों और देशद्रोहियों के प्रति समर्थन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा?

विपक्ष के अन्य सदस्यों की क्या स्थिति है? क्या वे अब सदस्य का परित्याग करने, स्वयं को

उनकी पार्टी से अलग करने और उनके मोर्चे से अलग रहने के लिए तैयार हैं ? क्या वे अब देश को अपना मत बताने के लिए तैयार हैं ? क्या वे इस व्यक्ति और आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थक हैं या इस देश के लोगों के समर्थक हैं ?

धर्म-निरपेक्षता भारत की मजबूती की कुंजी है। खालिस्तान के समर्थकों को धर्मनिरपेक्षता के बल पर ही समाप्त किया जाएगा। अलगाववादियों के पास एक यही उम्मीद है कि हमारे लोगों की सहज धर्म-निरपेक्षता को फुसलाया जाए। वे एक समुदाय को आतंक द्वारा दूसरे समुदाय से तोड़ने की उम्मीद रखते हैं। वे साम्प्रदायिक घृणा फैलाना चाहते हैं ताकि भारत साम्प्रदायिकता की आग में नष्ट हो जाए, इससे 'खालिस्तान' की उत्पत्ति हो सके। वे हिन्दुओं और सिखों के शताब्दियों पुराने सम्बन्धों को नष्ट करने पर आमादा हैं। वे हमारे संयुक्त पंजाब को पूर्णतया नष्ट कर देना चाहते हैं। वे उस पंजाब को नष्ट कर देना चाहते हैं जो सिखों, मुस्लिमों, हिन्दुओं तथा ईसाइयों और अन्य सभी के लिए समान आश्रय स्थल है। उन्होंने पवित्र स्थानों को किलों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। वे इसमें असफल रहे। उन्होंने सिखवाद के सिद्धांतों को लड़ाई की तोपों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। वे इसमें असफल रहे। पंजाब के लोगों तथा इस देश के लोगों ने हिन्दुओं को सिखों से तथा सिखों को हिन्दुओं से आपस में लड़ने नहीं दिया। पंजाब के लोगों तथा इस देश के लोगों को सभी गुरुओं द्वारा दिखाई गई सहनशीलता तथा सद्भाव की भावना याद थी। उन्हें हमारी संयुक्त संस्कृति का ज्ञान था जोकि हमारी महानता है। वे हमारी धर्म-निरपेक्षता को जानते थे जो प्रत्येक भारतीय में जन्म से ही है।

इसलिए मैं इस प्रश्न पर जोर दे रहा हूं और इस प्रश्न से बचा नहीं जा सकता। मैं इस सभा के प्रत्येक सदस्य से यह पुनः पूछता हूं। क्या आप उनके साथ हैं जो आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के समर्थक हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री राजीव गांधी : क्या आप उनके साथ हैं जो साम्प्रदायिकता के समर्थक हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री राजीव गांधी : अथवा क्या आप धर्मनिरपेक्षता के लिए साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्री राजीव गांधी : आपको हाल ही में बम्बई उच्च न्यायालय का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण फैसला याद होना चाहिए जिसमें चुनाव में साम्प्रदायिक नारा इस्तेमाल करने के लिए एक सदस्य का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है। यह बताना मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि साम्प्रदायिकता के लिए तथा धर्म-निरपेक्षता के विरुद्ध लड़ने वाला यह वकील कौन था। ऐसा तो संसद का एक ही सदस्य हो सकता है जो ऐसे मामले ले सकता है। हमें उस सदस्य से यही प्रश्न करना है कि : क्या आप भारत के लोगों के साथ हैं ? क्या आप भारत की विरासत, भारत के गौरव के साथ हैं ? अथवा क्या आप इन्हें फुसलाकर हमें नष्ट करना चाहते हैं ? मैं सभी विपक्षी पार्टियों से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि : क्या आप इन मूल्यों के समर्थक इस सदस्य के साथ हैं अथवा क्या आप भारत की एकता और अखंडता तथा गौरव के समर्थक रहेंगे ? महोदय, मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं। मैं विपक्ष से कहता हूं

कि : आप अपने दल से ऐसे गन्दे तत्वों को निकाल दें और साम्प्रदायिकता तथा आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हम लोगों के विशाल बहुमत में शामिल हो जाएं।

महोदय, हम आतंकवादियों को झुका देंगे। यदि विपक्ष ऐसे लोगों की सहायता करना चाहता है तो बेशक करे। हम स्वयं दृढ़ निश्चय के साथ यह संघर्ष जारी रखेंगे। क्या मैं यहां यह कह सकता हूं कि यह पाठ भी मुझे मेरी मां इंदिरा जी ने सिखाया था ?

महोदय, विशेष जांच दल ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। आरोप-पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। कानून अपना समय लेगा। लेकिन न्यायालयों में इस देश के लोगों के खिलाफ षडयन्त्रकारियों की चाले समाप्त नहीं होगी। यह लड़ाई तो राजनैतिक स्तर पर लड़ी जानी है। सभा के विभिन्न वर्गों में हमारे समर्थक हैं। हमें अपने सभी मतभेद दूर करने चाहिएं। षडयन्त्रकारियों के साथ रहने वाले तथा उनके मित्र दूर रहें। लोगों के समक्ष उनका पर्दाफाश हो जाएगा। बाकि हम सबके लिए रास्ता एकदम साफ है। हम हिंसा के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम पंजाब के लोगों के समर्थन को और मजबूत करेंगे। हम पंचायतों के चुनाव के साथ उन्हें और अधिक शक्तियां तथा दायित्व सौंपेंगे। हिंसा का परित्याग करने वाले तथा हमारे संविधान का सम्मान करने वालों के साथ हम बातचीत करेंगे। हम पंजाब में शांति स्थापित करेंगे।

महोदय, क्या जो लोग आज पूरे जोर से चिल्ला रहे हैं, वे इंदिरा जी के निन्दकों में अग्रणी नहीं थे ?

आज वे नकली आंसू बहा रहे हैं। उनके मन में इंदिराजी के लिए कितना प्यार है ? क्या ये वही लोग नहीं थे जो उनके ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं ? क्या ये वे ही नहीं थे जो दिन-रात उनके पीछे पड़े रहते थे ? क्या ये वे लोग नहीं थे जिन्होंने उन्हें चिकमंगलूर से विजयी होने के बाद भी संसद की बैठक में भाग नहीं लेने दिया था और प्रजातंत्र को नष्ट किया था ?

वे लोग जिन्होंने हमेशा गलत तरीके अपनाकर उन्हें देश के सार्वजनिक जीवन से अलग-थलग करने की कोशिश की थी, ये ही आज अपने आपको, उनको शारीरिक तौर पर हमारे बीच से खत्म करने के बाद, उनका रक्षक और समर्थक बतला रहे हैं। महोदय, इस तरह के हथकण्डों से न तो संसद को बरगलाया जा सकता है और न ही देश को।

महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों के मानसिक आघात और अब तक के भाषण के दौरान मुझे ऐसा महसूस होता रहा है कि इन्दिराजी मेरे पास ही हैं। देश को मजबूत और एकता प्रदान करने के हमारे कार्यों के पीछे उनका आशीर्वाद ही है। महोदय, यही मेरे लिए सुख और पारितोषिक की बात है। धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं इंदिराजी के पुत्र को धन्यवाद देता हूं—इंदिराजी जो भारत की माता के रूप में उभरी।

श्री राजीव गांधी : महोदय मैंने एक गलती की है। यह तीन सदस्यों वाली खण्डपीठ थी, सात सदस्यों वाली नहीं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने प्रिय प्रधानमंत्री अत्यन्त भावनात्मक